श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय

बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड–249 199

Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhyalaya

Badshahithaul, Tehri Garhwal, Uttarakhand-249 199

Mo.: 9412076505
Tel. : 01376 – 254065 (O)
Fax : 01376 – 254065
Website: www.sdsuv.ac.in

Ref. No. 1521 /SDSUV/DRO/2014-15 Dated : 18/03/2015.

कार्यालय आदेश

विषयः– श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तारण एवं सीट वृद्धि के प्रस्तावों हेतु समय का निर्धारण।

मा0 कुलपति महोदय के आदेश पर अवगत कराना है कि वर्तमान में श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्विद्यालय, बादशाहीथौल से सम्बद्ध विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा पारस्परिक एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। प्रत्येक शैक्षिक सत्र हेतु इन शिक्षण संस्थानों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव काफी विलम्ब से प्राप्त होते है, जिनके कारण शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् भी कतिपय संस्थानों के पाठ्यक्रमों को अस्थायी सम्बद्धता, सम्बद्धता विस्तारण प्राप्त नहीं हो पाता है। जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय एवं अध्ययनरत् छात्रों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये शैक्षिक गतिविधियों को सम्बद्धता प्रदान करने तथा शैक्षिक सत्र के सुचारू संचार हेतु अस्थायी सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तारण के लिए निम्न समय अवधि निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

- संस्थानों द्वारा अस्थायी सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तारण एवं सीट वृद्धि के प्रस्ताव/आवेदनों को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये प्रत्येक दशा में 31 मार्च तक विश्वविद्यालय में जमा कर दिये जायेंगें। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त प्रस्ताव/आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों/आवेदनों को विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त सभी प्रारम्भ औपचारिकतायें पूर्ण करने वाले आवेदकों के आवेदनों पर 15 अप्रैल तक प्रत्येक संस्थान हेतु निरीक्षण मण्डल गठित कर लिया जायेग।
- निरीक्षण मण्डल द्वारा सम्बन्धित संस्थानों का मानकानुसार निरीक्षण करते हुये निरीक्षण आख्या में अपनी स्पष्ट संस्तुति एवं पदनाम, हस्ताक्षर सहित निरीक्षण आख्या प्रत्येक दशा में 15 मई तक विश्वविद्यालय में उपलब्ध करा दी जायेगी।
- विश्वविद्यालय द्वारा अस्थायी सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तारण से सम्बन्धित प्रस्तावों को निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचना तथा समस्त वांछित अभिलेखों सहित संस्तुति के साथ प्रत्येक दशा में 31 मई तक शासन को उपलब्ध करा दिये जायेंगें।
- शासन स्तर पर विलम्बतम 30 जून या शासन स्तर पर निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रस्तावों का सम्यक् परीक्षण करने के उपरान्त माननीय कुलाधिपति महोदय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दियें जाने हेतु प्रस्तावित है।
- शासन की संस्तुति के उपरान्त माननीय कुलाधिपति कार्यालय द्वारा अस्थायी सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तारण के प्रस्तावों पर निर्णय विलम्बतम् 31 जुलाई या माननीय कुलाधिपति सचिवालय द्वारा निर्धारित तिथि तक लिया जाना प्रस्तावित है।

अतः समस्त संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि आप उक्तानुसार तिथियों तक अपनी सम्पूर्ण पत्रावलियां विश्वविद्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा विलम्ब से प्राप्त पत्रावलियों की जवाबदेही स्वयं उक्त संस्थान की होगी।

कुलसचिव।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सचिव, मा0 श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, देहरादून।
2. सचिव महोदया, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
4. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव।
5. कार्यालय प्रति।

कुलसचिव।

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड़ विश्वविद्यालय

बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड़–249 199

Tel. : 01376 – 254065 (O)

Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhyalay

Fax : 01376 – 254065

Badshahithaul, Tehri Garhwal–249 199

Website: www.sdsuv.ac.in

Ref: /SDSUV/RO/2014-15

Date: /08/2014

नयी सम्बद्धता के मानक/शर्ते

राजभवन के मानकः–

1. सत्र के प्रारम्भ में संस्थान/महाविद्यालय अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय/शासन एवं कुलाधिपति के आदेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।
3. पाठ्यक्रम में अग्रेत्तर अवधि विस्तारण हेतु सभी मानक पूर्ण किये जाने के प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात् ही शैक्षणिक सत्र 2014–15 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की जायेगी, अन्यथा अस्थाई सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
4. संस्थान को शुल्क एवं प्रवेश के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय/नियामक संस्था द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
5. कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि नियामक संस्था, राज्य सरकार या अन्य एजेन्सी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीकरण हेतु कोई आदेश/पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरूद्ध तदनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
7. संस्थान द्वारा नियुक्त फैकल्टी स्टॉफ यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
8. संस्थान के कैम्पस में अन्य किसी विश्वविद्यालय से संबंधित इसी प्रकार कोर्स संचालित होने की दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
9. सम्बद्धता हेतु शासन को उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्तावों में कमियां परिलक्षित होने पर निरीक्षण मण्डल के सदस्यों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
10. विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के प्रवेश से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्थान द्वारा नियामक संस्था/यू0जी0सी0/ शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एंव निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फैकल्टी तैनात नहीं पायी जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नहीं किया जाना पाया जाता है तो विश्वविद्यालय एंव निदेशक द्वारा संस्थान की मान्यता समाप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो शासन द्वारा सम्बन्धित कार्मिक/सक्षम अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
11. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संस्थान के अकादमिक, प्रशासकीय एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के उल्लेख के साथ–साथ फैकल्टी की शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यताओं तथा उनके फोटोग्राफ्स भी प्रकाशित किये जायेगें

तथा उसकी एक हार्डकापी शासन को भी उपलब्ध कराते हुए, वेबसाइट के सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय एवं कुलाधिपति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।

12. छात्रों से विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो संस्थान के विरूद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
13. संस्थान में कार्यरत फैकल्टी एवं कर्मचारियों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानको के अनुरूप अनिवार्य रूप में क्रास चैक द्वारा उनके नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि ससमय–समय पर विश्वविद्यालय/निदेशक, उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा द्वारा की जायेगी।
14. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 छात्र/छात्राओं को अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा।
15. पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात ही अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की जायेगी, अन्यथा सम्बन्धित शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर अस्थाई सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
16. संस्थान द्वारा उक्त शर्तो का अनुपालन किया जा चुका है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में कुमाऊँ विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसकी पुष्टि की जानी होगी अन्यथा आगामी अस्थाई सम्बद्धता स्वीकृत नहीं की जायेगी।

विश्वविद्यालय की शर्तेः–

1. आवेदन के लिए अपने संस्थान/सोसायटी के लैटर पैड पर पाठ्यक्रम/विषयों का पूर्ण विवरण तथा संस्थान का पूर्ण पता एवं दूरभाष न0/मो0न0, फैक्स न0, ई मेल आईडी0 तथा वेबसाईट अवश्यक अंकित करें।
2. विश्वविद्यालय का प्रारूप स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से भरा जाय।
3. भूमि मानक के अनुसार पूर्ण होनी चाहिए।
4. खाता खतौनी, सोसायटी का प्रमाण पत्र, एवं रजिस्ट्री के दस्तावेज पूर्ण होने चाहिए।
5. इस आशय का शपथ पत्र कि उक्त पाठ्यक्रम किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं है।
6. पाठ्यक्रम पंजीकरण शुल्क आवेदन के समय ही ड्राफ्ट के माध्यम से वित्त अधिकारी श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के नाम जमा होना चाहिए।
7. पूर्व में ही पाठ्यक्रम सुनिश्चित करें तथा तद्पश्चात ही आवेदन करें, अन्यथा शुल्क वापस नहीं होगा।
8. संस्थान का निरीक्षण होने के पश्चात एक माह के भीतर फैकल्टी का अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा अवश्य करवायें।
9. प्राभूति राशि निरीक्षण के पश्चात पत्रावलियों को जमा करते समय **पाठ्यक्रमवार एवं पाठ्यक्रम अवधि हेतु कुलसचिव, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के नाम प्लेज्ड करवा कर** अवश्य जमा करवायें।
10. संस्थान के भवन का नक्शा संलग्न करें।
11. संस्थान का बैंक बैलेंस फैकल्टी के एक साल के वेतन के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए।
12. यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार 15 किमी0 की दूरी पर एक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एक ही पाठ्यक्रम संचालित नहीं होने चाहिए।

अतः उपरोक्त शर्तो/नियमों को पूर्ण होने पर ही सम्बद्धता की कार्यवाही की जायेगी।

14/03/2015

कुलसचिव।